अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

मृतक चम्पा के वारिसान लेहरी वगैर । बनाम ।। दुल्हेसिंह वगैर

किस्म मुकदमा प्रा0प0 अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए. मुकदमा नम्बर 59/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2020/00055	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2020	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जगदीशचन्द्र मेनारिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात **मौजा आकोलाकलां पटवार हल्का आकोलाकलां तहसील भदेसर में स्थित खाता संख्या 95 में अंकित आराजी 320 किता–1 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर** स्थित होकर उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ोसी है। ताईद में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे । वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जेर बहस आलोच्य आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदेसर को 2000/– अक्षरे दो हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर बाद सुनवाई उनकी मौजूदगी में **मौजा आकोलाकलां पटवार हल्का आकोलाकलां तहसील भदेसर में स्थित खाता संख्या 95 में अंकित आराजी 320 किता–1 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर** भूमि की नक्शा बन्दोबस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमाइशी पत्थरगढ़ी कराई जावे तथा पत्थरगढ़ी के पत्रादि एवं पक्षकारान् [illegible] सूचना पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें । [illegible] जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से कम हो । (अंजु शर्मा) उपखण्ड अधिकारी भदेसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 12:06:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner